कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com **Phone/Fax: 0135 2767611**

पत्रांकः– 1619 / 12-1 दिनॉकः देहरादून 16-02 फरवरी, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत बजून से फगुनियाखेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.70 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Proposal No- FP/UK/ROAD/9600/2015)

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 8B/UCP/06/165/2022/FC/898 दिनांक 10.10.2023।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र **दिनांक 10.10.2023** के अनुपालन में आख्या/सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्रांक 4008/12–1 दिनांक 03.02.2024 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से अवगत कराया गया है कि के0एम0एल0 फाईल में ग्राम बजून से फगुनियाखेत तक मोटर मार्ग को एवं साथ ही कोटली की स्थिति को दर्शाया गया है। ग्राम बजून से फगुनियाखेत मोटर मार्ग एवं ग्राम फगुनियाखेत से कोटली को भू–सन्दर्भित डिजिटल मानचित्र में पूर्व से चिन्हित कर दिया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फगुनियाखेत से कोटली हेतु अलग से स्वीकृति प्राप्त है। के0एम0एल0 फाईल में प्रस्तावित मार्ग को बजून से फगुनियाखेत के मार्ग समरेखण को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं इससे आगे नव स्वीकृत मार्ग फगुनियाखेत से कोटली को हरे रंग से दर्शाया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी के अनुरोध के दृष्टिगत प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

<u>संख्या / 12-1 तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।